संख्या: 80/2020/2007 ई-2/तेरह-2020-01/2020

प्रेषक,

योगेश कुमार शुक्ल
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 सितम्बर, 2020

विषय:-कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-63/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 09.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त पत्र के माध्यम से आप द्वारा कोविड-19 महामरी की रोकथाम के कारण उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण के संबंध में देशव्यापी लाक डाउन के कारण प्रदेश में मदिरा की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण आबकारी वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित आबकारी नीति के कतिपय बिन्दुओं पर संशोधन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) (i) देशी मदिरा की फुटकर दुकानें जो कन्टेनमेंट जोन में स्थित होने के कारण प्रभावित रहीं उन्हें माह जून 2020, माह जुलाई 2020 एवं माह अगस्त 2020 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. को उठाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है।

(ii) देशी मदिरा की फुटकर दुकानें जो कोविड-19 महामारी के कुप्रभावों के कारण माह जून 2020, माह जुलाई 2020 एवं माह अगस्त 2020 में निर्धारित एम.जी.क्यू. का उठान नहीं कर सकी हैं, को कम उठायी गयी मात्रा का उठान माह अक्टूबर, 2020 तक कर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) (i) ऐसी विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानें और माडल शाप्स जो माह जून 2020 के निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी नहीं ले सकीं उन दुकानों को कम उठाई गयी निकासी में सन्निहित राजस्व से छूट प्रदान की जाती है।

(ii) विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानें और मॉडल शॉप्स जो कन्टेनमेंट जोन में स्थित होने के कारण प्रभावित रहीं उनको माह जुलाई 2020 एवं अगस्त 2020 हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iii) समस्त बियर की दुकानों एवं मॉडल शॉप्स को वित्तीय वर्ष के द्वितीय त्रैमास में निर्धारित राजस्व के समतुल्य बियर के निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है।

(iv)ऐसी विदेशी मदिरा एवं मॉडल शॉप्स जो द्वितीय त्रैमास में निर्धारित राजस्व के समतुल्य विदेशी मदिरा की निकासी नहीं ले सकी उन दुकानों को कम उठान एवं निकासी को बिना किसी दण्ड दिसम्बर माह के अन्त तक उठान की अनुमति दी जाती है।

(3) चार चरणों के व्यवस्थापन के पश्चात अवशेष अव्यवस्थित 582 आबकारी दुकानों को समाप्त किया जाता है।

(4) अर्द्धसैनिक बलों यथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कैन्टीनों/यूनिटों को भी सैनिक बलों की भॉति एफ.एल.-9 अनुज्ञापन(रियायती रम के अतिरिक्त विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु) अनुमन्य किया जाता है।

(5) मूल आबकारी दुकान के दो बराबर भागों में विभक्तीकरण के पश्चात प्राप्त दुकान-क अथवा दुकान-ख के संबंध में गतवर्ष की माहवार निकासी में सन्निहित राजस्व का निर्धारण मूल दुकान पर गतवर्ष माहवार ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व के अर्द्ध भाग के बराबर की जाती है।

4. कृपया उपरोक्तानुसार यथास्थिति कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास किये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(योगेश कुमार शुक्ल)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।